KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

BPSC - Polity

By : Karan Sir

दल परिवर्तन कानून

दल परिवर्तन क्या है?

- दल-बदल को 'निष्ठा या कर्तव्य का सचेत परित्याग' के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इसमें दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है। यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करता है।
- दल-बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों (सांसदों)/विधानसभा सदस्यों (विधायकों) को दंडित करता है।
- विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने के लिये संसद ने वर्ष 1985 में इसे संविधान की दसवीं अनुसूची के रूप में जोड़ा।

भारत में दल-बदल विरोधी कानून का क्रमिक विकास

1967 के पहले भारत में दल-बदल के लगभग 500 मामले सामने आए थे और ये अधिकांश मामले राज्यों में सामने आए थे।

1968 तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री वाई. बी. चव्हाण की अध्यक्षता में दल-बदल पर समिति को नियुक्त किया, गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलबदल की समस्या का विस्तार में अध्ययन करना और प्रभावी निवारक उपाय का सुझाव देना था।

1973: सरकार ने दल-बदल पर अंकुश लगाने के लिए 32वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जो अंततः व्यपगत (lapse) हो गया।

1985, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल-बदल विरोधी कानून के साथ संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।

दल परिवर्तन से सम्बंधित संविधान संशोधन

☞ दल परिवर्तन से सम्बंधित भारतीय संविधान में मुख्यत: दो बार संशोधन हुआ हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है–

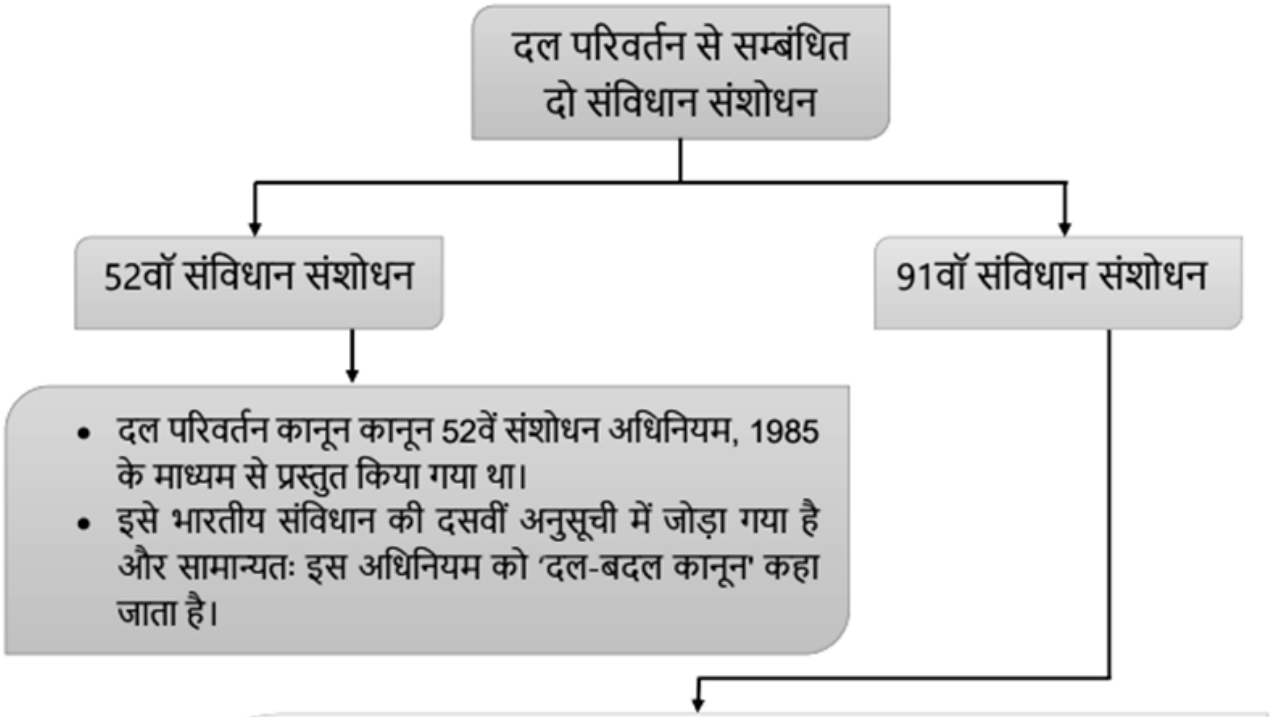

91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने अयोग्य लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने एवं दल परिवर्तन विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं-

- प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा की कुल सदस्य संख्या(अनुच्छेद 75) और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या(अनुच्छेद 164) के 15% से अधिक नहीं होगा लेकिन, एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
- संसद के किसी भी सदन के सदस्य (अनुच्छेद 75) या राज्य विधानमंडल के सदस्य (अनुच्छेद 164)जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो,जिसे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, वह किसी भी मंत्री पद को धारण करने के लिए अयोग्य होगा।
- संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का, किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराया गया हो, किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के लिए अयोग्य होगा।
- दसवीं अनुसूची के उपबंध (दल परिवर्तन विरोधी कानून) विभाजन की उस दशा में लागू नहीं होंगे, जब किसी दल के एक तिहाई सदस्य उस विभाजित समूह में शामिल हों। अर्थात विभाजन के आधार पर निरर्हकों के लिए कोई और संरक्षण नहीं है।

दल-बदल कानून की आवश्यकता क्यों है?

दल-बदल कानून की आवश्यकता क्यों हैं इसको एक आरेख के माध्यम से निरुपित किया गया है-

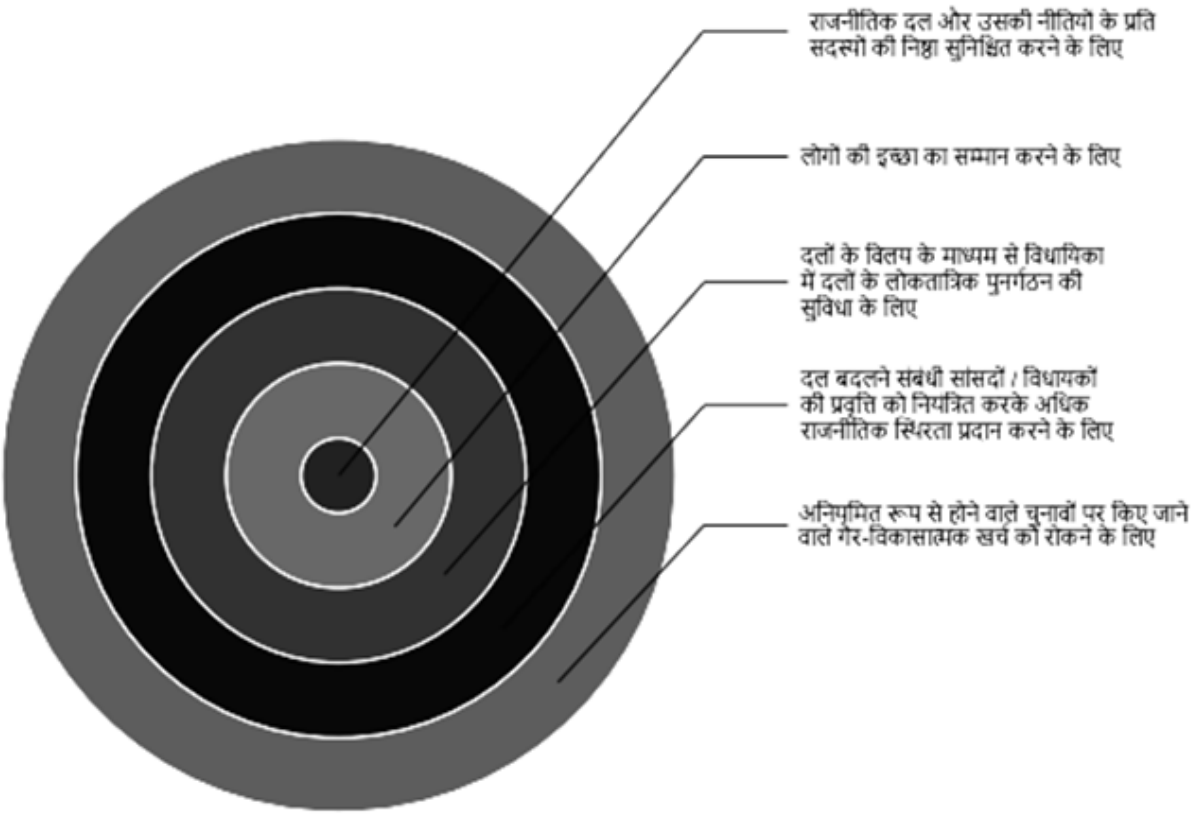

दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित मुद्दे

- यह विधायकों / सांसदों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है।
- इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही कम हो जाती है।
- यह प्रतिनिधात्मक सरकार को कमजोर करता है।

दल-बदल का आधार

☛ दल-बदल के निम्नलिखित आधार हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-

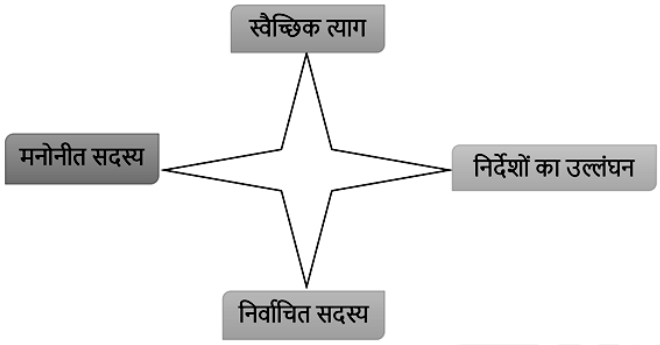

स्वैच्छिक त्याग

☛ यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना चाहता है।

निर्देशों का उल्लंघन

☛ यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपने राजनीतिक दल अथवा ऐसा करने के लिये अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना जारी किये गए किसी आदेश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है अथवा मतदान से अनुपस्थित रहता है।

निर्वाचित सदस्य

☛ यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

मनोनीत सदस्य

☛ यदि कोई नामांकित सदस्य छह महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

दल-बदल विरोधी कानून की चुनौतियाँ